

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 140/2019

दायर दिनांक: 26/09/2019

उनवान

1. हरिमोहन आयु 40 वर्ष पुत्र रामप्रसाद
2. महेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र रामप्रसाद
3. नरेन्द्र कुमार आयु 36 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जातियान धाकड निवासीगण खानपुरिया तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद आयु 62 वर्ष पुत्र गेन्दीलाल जाति धाकड निवासी खानपुरिया तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

आदेश

दिनांक: 10/10/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 263 का ख० न० 752 का रकबा 0.04 है० ख० न० 753 का रकबा 0.51 है० ख० न० 761 का रकबा 1.36 है० कुल कित्ता 3 का रकबा 1.91 है० प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जो वादीगण के दादाजी गेन्दीलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता गेन्दीलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4, बनता है जिसमें

वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/4 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 03.08.2019 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/4 ,1/4 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/4 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/4 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 30.08.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावे। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ज तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है।

वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावे।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के

मुताबिक हिस्सा 1/4, 1/4, राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा राजीनामा उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। विवादित आराजी वाके ग्राम व माल सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता सं0 263 की कुल कित्ता 3 की 1.91 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही हैं जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4-1/4 बनता है। जिसे राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। मुताबिक राजीनामें अनुसार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/4-1/4 का कृषक खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 रामप्रसाद ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/4 का हकत्याग बिना प्रतिफल लिए ही वादीगण हरिमोहन, महेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार के पक्ष में कर दिया है। जिससे वादीगण 1 लगायत 3 को 1/3-1/3 का कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3-1/3 कर कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 व प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री हरीश गालव एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम सुभासपुरा की खाता संख्या 263 कुल कित्ता 3 रकबा 1.91 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 रामप्रसाद के खाते दर्ज है। जो पिता गेंदीलाल के खाते की थी जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 में अपने

नाम दर्ज करना चाहते हैं। तथा सहमति से बिना प्रतिफल प्राप्त किये प्रतिवादी क्रम 1 रामप्रसाद द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4, वादी क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में करना चाहते हैं।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सुभाषपुरा की खाता संख्या 263 कुल किता 3 रकबा 1.91 है0 में वादी क्रम 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4—1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना हिस्से का हकत्याग वादी क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में करने से वादी क्रम 1 हरिमोहन, वादी क्रम 2 महेन्द्र कुमार, वादी क्रम 3 नरेन्द्र कुमार को 1/3—1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 140/2019

उनवान

1. हरिमोहन आयु 40 वर्ष पुत्र रामप्रसाद
2. महेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र रामप्रसाद
3. नरेन्द्र कुमार आयु 36 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जातियान धाकड निवासीगण खानपुरिया तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद आयु 62 वर्ष पुत्र गेन्दीलाल जाति धाकड निवासी खानपुरिया तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सुभाषपुरा की खाता संख्या 263 कुल किता 3 रकबा 1.91 है0 में वादी क्रम 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना हिस्से का हकत्याग वादी क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में करने से वादी क्रम 1 हरिमोहन, वादी क्रम 2 महेन्द्र कुमार, वादी क्रम 3 नरेन्द्र कुमार को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू नियमानुसार हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.10.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

